



**बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)**

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉ मार्ग, पटना-800 014
संख्या—

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा० व० से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
गोपालगंज वन प्रमंडल, गोपालगंज।

उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण),
मुख्यालय, गोरखपुर

पटना 14, दिनांक—

विषय — सीवान जिलान्तर्गत महाराजगंज—मशरक रेल लाईन पर NH-101 छपरा—सलेमपुर पथ बडकागाँव—बसंतपुर के बीच प्रस्तावित ROB निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.361 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग — भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Rail/21907/2016/2990 दिनांक 06.03.2019

महाशय,

प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयांकित परियोजना निर्माण हेतु 1.361 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की है—

1. परियोजना निर्माण के क्रम में 1.361 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि 6.26 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रु० 8,51,986/— (रुपये आठ लाख एकावन हजार नौ सौ छियासी) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध कराएगी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रासंगिक पत्र में अंकित शर्त संख्या-3 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर रु० 257 प्रति मानव दिवस पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रु० 19,35,000/— (रुपये उनीस लाख पैतीस हजार) मात्र का प्राक्कलन तैयार किया गया है जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

3. उपर्युक्त NPV एवं CA मद की कुल राशि रु० 27,86,986/— (रुपये सताईस लाख छियासी हजार नौ सौ छियासी) मात्र को मंत्रालय के वेब—साइट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांसफर कर राशि जमा कराई जाय।

4. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाय।

5. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में उल्लिखित कंडिका 1 से 10 में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/—

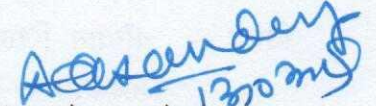
(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापक— FC219

दिनांक— 13/03/2019

प्रतिलिपि— वन संरक्षक सीवान अंचल, सीवान को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।